सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची

प्रलिम्सि के लयि

रक्षा अधग्रिहण प्रक्रयिा, 2020; डफिेंस इंडयिा स्टार्टअप चैलेंज, आयुध नर्माणी बोर्डों का नगिमीकरण, रक्षा औद्योगकि गलयिारा, नकारात्मक आयात सूची

मेन्स के लयि

भारतीय रक्षा क्षेत्र: चुनौती और संभावनाएँ, रक्षा क्षेत्र संबंधी FDI नीतिं

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **रक्षा मंत्रालय** (Ministry of Defence) ने 108 वस्तुओं की दूसरी '**नकारात्मक आयात सूची**' (Negative Import List) जारी की, जसिका नाम परविर्तति कर अब '**सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची**' (Positive Indigenisation List) कर दयिा गया है।

- 101 वस्तुओं वाली '**प्रथम नकारात्मक स्वदेशीकरण**' (First Negative Indigenisation) सूची को अगस्त 2020 में अधसिूचति कयिा गया था।

प्रमुख बदि

दूसरी सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची के वषिय में:

- **खरीद:** सभी 108 वस्तुओं की खरीद अब रक्षा अधग्रिहण प्रक्रयिा (Defence Acquisition Procedure- DAP), 2020 में दयि गए प्रावधानों के अनुसार स्वदेशी स्रोतों से की जाएगी।
- **समय-सीमा:** इसे दसिंबर 2021 से दसिंबर 2025 तक प्रभावी रूप से लागू करने की योजना है।
- **शामलि वस्तुएँ:**
  - इस सूची में सेंसर, समि्युलेटर, हथयिार और गोला-बारूद जैसे- हेलीकॉप्टर, नेक्स्ट जेनरेशन कॉर्वेट, एयरबोर्न अर्ली वार्नगि एंड कंट्रोल (AEW&C) सस्टिम, टैंक इंजन, **मीडयिम रेंज सरफेस टू एयर मसिाइल** (MRSAM) आदि को शामलि कयिा गया है।
- **संभावति लाभ:**
  - यह आत्मनर्भिरता **(आत्मनर्भिर भारत)** प्राप्त करने और रक्षा नर्यात को बढ़ावा देने के दोहरे उद्देश्यों को पूरा करने के लयि सार्वजनकि तथा नजिी क्षेत्र की सक्रयि भागीदारी के साथ स्वदेशीकरण को बढ़ावा देगी।
  - इसमें गोला-बारूद के आयात प्रतसि्थापन पर वशिेष ध्यान दयिा गया है।
  - यह सूची न केवल स्थानीय रक्षा उद्योग की क्षमता को महत्त्व देती है, बल्कि प्रौद्योगकिी और वनिर्माण क्षमताओं में नए नविेश को आकर्षति करके **घरेलू अनुसंधान तथा वकिास** को भी गति प्रदान करेगी।
  - यह सूची 'स्टार्ट-अप' के लयि एक उत्कृष्ट अवसर भी प्रदान करती है, क्योंकि इस पहल से **सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों** (MSMEs) को अत्यधकि बढ़ावा मलिेगा।

रक्षा उपकरणों के घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लयि अन्य पहलें:

- **घरेलू क्षेत्र के लयि बढ़ा हुआ पूंजी अधग्रिहण बजट:** रक्षा मंत्रालय ने वर्ष 2021-22 के पूंजी अधग्रिहण बजट के अंतर्गत अपने आधुनकिीकरण कोष के लगभग 64% (70,221 करोड़ रुपए) घरेलू क्षेत्र से खरीदने का नर्णिय लयिा है।
  - वत्ति वर्ष 2020-21 के लयि घरेलू वक्रिेताओं हेतु पूंजी बजट आवंटन 58% (52,000 करोड़ रुपया) कयिा गया था।
- **रक्षा औद्योगकि गलयिारा:** भारत ने "मेक इन इंडयिा" कार्यक्रम को बढ़ावा देने के बदले में नविेश को आकर्षति करने और साथ ही रोज़गार सृजन को प्रोत्साहति करने के लयि दो रक्षा औद्योगकि गलयिारों (एक तमलिनाडु में और दूसरा उत्तर प्रदेश में) का उद्घाटन कयिा है।
  - केंद्र सरकार ने स्वचालति मार्ग के अंतर्गत रक्षा क्षेत्र में **प्रत्यक्ष वदिेशी नविेश** (FDI) की सीमा 49% से बढ़ाकर 74% और सरकारी मार्ग से 74% से अधकि कर दी है।
- **आयुध नर्माणी बोर्डों का नगिमीकरण:** यह बेहतर प्रबंधन के लयि घोषति कयिा गया था, ताकि इन्हें शेयर बाज़ार में सूचीबद्ध कयिा जा सके और

लोग इनके शेयर खरीद सकें।

- **[डिफेंस इंडिया स्टार्टअप चैलेंज](#):** इसका उद्देश्य राष्ट्रीय रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में प्रोटोटाइप बनाने और/या उत्पादों/समाधानों का व्यवसायीकरण करने के लिये स्टार्ट-अप/एमएसएमई/इनोवेटर्स का समर्थन करना है।
    - इसे रक्षा मंत्रालय ने [अटल इनोवेशन मिशन](#) (Atal Innovation Mission) के साथ साझेदारी में लॉन्च किया है।
- **सृजन पोर्टल:** यह वन स्टॉप शॉप ऑनलाइन पोर्टल है जो विक्रेताओं को स्वदेशी वस्तुओं तक पहुँच प्रदान करता है।

रक्षा अधिग्रहण प्रक्रिया, 2020

- यह उन हथियारों या प्लेटफार्मों की सूची की अधिसूचना को सक्षम बनाता है जिन्हें आयात के लिये प्रतिबंधित किया जाएगा।
- यह रक्षा निर्माण और विनिर्माण कीमतों के स्वदेशीकरण (Indigenization of the Manufacturing Price) में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश पर केंद्रित है।
- यह कई नए विचारों को भी प्रस्तुत करती है जैसे कि प्लेटफॉर्मों और प्रणालियों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने की आवश्यकता, रक्षा उपकरणों में स्वदेशी सॉफ्टवेयर का उपयोग तथा स्टार्ट-अप एवं एमएसएमई द्वारा रक्षा अधिग्रहण की एक नई श्रेणी के रूप में 'नवाचार'।
- इसमें निम्नलिखित खरीद श्रेणियाँ शामिल हैं: स्वदेशी रूप से विकसित और निर्मित खरीदें, विदेशी द्वारा भारत में विकसित और निर्मित खरीदें।
    - इसने सभी श्रेणियों में **स्वदेशी सामग्री** (Indigenous Content- IC) की आवश्यकता को 40% से बढ़ाकर 50% कर दिया गया है, जिसे सामग्री के आधार पर 50% से 60% भी किया जा सकेगा।
    - केवल भारतीय कंपनियों से खरीद के माध्यम से विदेशी विक्रेताओं के पास 30% स्वदेशी सामग्री हो सकती है।

Category wise IC Requirement

Category	Vendors eligible to participate	Indigenous Content
Buy (IDDM)	Indian	Indigenous design and ≥ 50%
Buy (Indian)	Indian	In case of indigenous design ≥ 50%, otherwise≥ 60%
Buy and Make (Indian) (Buy portion may be nil)	Indian	≥ 50% of the 'Make' portion and transfer of critical technologies from the foreign vendors as per the specified range, depth and scope
Buy (Global – Manufacture in India)	Foreign and Indian	≥ 50%
Buy (Global)	Foreign and Indian	Foreign Vendor – Nil Indian Vendor ≥ 30%

//

आगे की राह

- रक्षा मंत्रालय, [रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन](#) (Defence Research and Development Organisation- DRDO) तथा सेवा मुख्यालय यह सुनिश्चित करने के लिये सभी आवश्यक कदम उठाएंगे कि सूची में उल्लेखित समय-सीमा का पालन हो।
    - इससे सरकार के '[मेक इन इंडिया](#)' विज़न में भारतीय रक्षा निर्माताओं को विश्व स्तरीय बुनियादी ढाँचा तैयार करने, भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने और निकट भविष्य में रक्षा निर्यात की क्षमता विकसित करने से मदद मिलेगी।
- रक्षा मंत्रालय द्वारा '[रक्षा उत्पादन और निर्यात संवर्द्धन नीति](#) (Defence Production and Export Promotion Policy- DPEPP), 2020' का अंतिम संस्करण भी जारी किये जाने की उम्मीद है।
    - डीपीईपीपी को आत्मनिर्भर बनने और निर्यात के लिये देश की रक्षा उत्पादन क्षमताओं पर ध्यान केंद्रित करने हेतु एक अतिव्यापी मार्गदर्शक दस्तावेज़ के रूप में परिकल्पित किया गया है।

स्रोत: द हिंदू

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/positive-indigenisation-list